न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 2021(2021 / 66)

1. भैरू लाल पुत्र रामनाथ बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम खवास, उप तहसील कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र कल्याण जाति ब्राम्हण निवासी गुरजियों का मोहल्ला ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब केकडी तहसील कार्यालय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

— अप्रार्थीगण

उपस्थित:—

1. श्री नीरज जैन — वकील प्रार्थी
2. श्री अनुराग पाण्डेय— वकील अप्रार्थी

पेरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) —

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 24.6.2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रार्थी की निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम खवास, उपतहसील कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नंबर	रकवा
506—486	3496	0.17

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी की खातेदारी आराजीयात है जिस पर वादी का बिना बेरोक टोक के कब्जा काश्त आधिपत्य स्वामित्व में चला आ रहा है वादी उक्त वाद वर्णित आराजीयात को कब्जा काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी को अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी में आने जाने के लिए रेकोर्डेड रास्ते की आवश्यकता है वादी ने जब से अपने खातेदारी व काश्तकारी अधिकार प्राप्त किये तभी से अपने सामने की आराजी खसरा संख्या 3495 की आराजी से आता जाता रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने करीब 2 माह से वादी को खेत की सरकार आराजी में आने जाने से रोक दिया और वादी के आने जाने के रास्ते के अवरूद्व कर दिया है वादी को अपने खातेदारी की आराजी में आने जाने का रास्ता उपलब्ध नही होने से माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है वादी को उसके खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु खसरा संख्या 3495 में से 20 फूट चौडा आम रास्ता चाहा गया है वादी को प्रतिवादी संख्या 2 की आराजी खसरा संख्या 3495 मे से 20 फुट चौडा रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध करवाया जावे जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश दिया जावे कि आराजी खसरा संख्या 3495 में से वादी को उसकी खातेदारी की अराजी में आने जाने हेतु आम रास्ता तामीर करवाये और उक्त रास्ता हेतु खर्चा वादी अदा करने को तैयार व तत्पर है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण—1 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहते। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश कि गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

उपखण्ड अधिकारी ...
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उक्त प्रकरण में ग्राम खवास में खसरा संख्या 3496 रकबा 0.17हैक्टर मे आने जाने हेतु प्रार्थी भैरूलाल पुत्र रामनाथ बलाई द्वारा रास्ता चाहा गया है जिसमे खसरा संख्या 3496,3494 की पूर्वी मेर व 3492 की द. मेर से होते हुए 3493 की द. मेर से खसरा संख्या 3496 मे प्रवेश करना है खसरा संख्या 3484 में 12x6=72 मी. 3495 में 40x6=240 व ख.नं 3486 मे 8x6=48 कुल 360 मीटर उक्त रास्ते की वर्तमान कीमत से बनी राशि की दुगुनी कीमत 9748.80/–(नो हजार सात सौ उनचास रूपये)बनी है

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 3496 के लिए प्रस्तावित रास्ता आराजी खसरा नंबर 3484 में 12x6=72 मी. 3495 मे 40x6=240 व ख.न 3486 में 8x6=48 कुल 360 मीटर उक्त रास्ते की वर्तमान कीमत से बनी राशि की दुगुनी कीमत 9748.80/–(नो हजार सात सौ उनचास रूपये)बनी है नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का वाद पत्र धारा अन्तर्गत 2551ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 3496 के लिए प्रस्तावित रास्ता आराजी खसरा नंबर 3484 मे 12x6=72 मी. 3495 में 40x6=240 व ख.नं 3486 में 8x6=48 कुल 360 मीटर उक्त रास्ते की वर्तमान कीमत से बनी राशि की दुगुनी कीमत 9748.80/–(नो हजार सात सौ उनचास रूपये)बनी है जिसका भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नंबर 3495,3484,3486 में से 360मीटर नियमानुसार सार्वजनिक गै.मु.रास्ते हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रार्थी से उक्त 9748.80 रूपये प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये सूचित कर राशि उपलब्ध करावे अप्रार्थीगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष मे जमा करवायी जाकर ग्राम खवास की आराजी खसरा नंबर 3496 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे मे वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)